

18⁰⁶/₂₄ - वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं भी
उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई
कारण भी पेशा नहीं हुआ। बार-बार क्रियात्मक
लगावई गई। अतः यह वाद-पत्र अदम पुरवी
अदम शापटी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली निम्न में शुमार की जाकर नम्बर
से कम होकर तथा दरतीव तकमिल होकर
दाखिल दफतर हो।